रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1973/श्रावण 2, 1895

No. 176] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1973/SARAVANA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th July 1973

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	45/72-Central Excise, dated the 17th March, 1972.	In the said notification,— (1) for the figures "4·50", the figures "22·50" shall be substituted ; (2) for the words "one rupee and fifty paise", the words "seven rupees and fifty paise" shall be substituted.
2.	46/72-Central Excise, dated the 17th March, 1972.	In the said notification for the words "one rupee and fifty paise", the words "seven rupees and fifty paise" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1973.

[No. 153/73.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधीसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 369 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाओं को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्र० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	45/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना में, — (1) "4.50" अंकों के स्थान पर "22.50" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; (2) "एक रुपया और पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "सात रुपए और पचास पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें ।
2.	46/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना में "एक रुपया और पचास पैसे", शब्दों के स्थान पर "सात रुपए और पचास पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना पहली अगस्त, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 153/73]

वी० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

CUSTOMS

New Delhi, the 24th July 1973

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act. 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 23-Customs, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification, for the figures and words "30 per cent. *ad valorem*" the figures and words "15 per cent *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 106/F. No. 363-TR(CUS)/73.]

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 360(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 23-सीमा-शुल्क, तारीख पहली मार्च, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "30 प्रतिशत मूल्यानुसार", अंकों और शब्दों के स्थान पर "15 प्रतिशत, मूल्यानुसार", अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 106/फा० सं० 363-टी० आर० (सी० शु०)/73]

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil falling under Item No. 15(6) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for use in the manufacture of soap from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of—

(a) 30 per cent. *ad valorem*, where the standard rate of duty is leviable; and

(b) 20 per cent. *ad valorem*, where the preferential rate of duty is leviable,

[No. 107/F. No. 363-TR(CUS)/73.]

सा० का० नि० 361(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 15 (6) के अधीन आने वाले ताड़ के तेल को, साबुन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए जब भारत में उसका आयात किया जाए, तब—

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय हो, वहां उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के जितना उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जितना 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो, और

(ख) जहां शुल्क की अधिमानी दर उद्ग्रणीय हो, वहां उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के जितना उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जितना 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो;

एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 107/फा०सं० 363—टी० आर० (सी०शु०)/73]

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 25 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 83-Customs, dated the 11th May, 1973, namely:—

In the Schedule below the said notification, the following shall be inserted at the end, namely:—

"22. No. 107-Customs, dated the 24th July, 1973."

[No. 108/F. No. 363-TR(CUS)/73.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

सा० का० नि० 362 (अ).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 25 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 83-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मई, 1973 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, अन्त में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22, संख्या 107-सीमा-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1973 ।" ।

[सं० 108/फा० सं० 363-टी० आर० (सी० शु०)/73]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973